निशुल्क प्रकाशत हेतु

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
प्रेस विज्ञप्ति

विषय :– उत्तर मैट्रिक कक्षाओ में अध्ययनरत छात्र/छात्राओ से सत्र 2010–11 हेतु छात्रवृति आवेदन करने के सम्बन्ध में।

आयुक्तालय कालेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा सत्र 2010–11 हेतु समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालयो, विश्वविद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयो में अध्ययनरत छात्र/छात्राओ से निम्नलिखित छात्रवृतियों के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते है।

क्र. सं.	नाम छात्रवृति	महाविद्यालय/विद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	संस्था प्रधान (महाविद्याल/विद्यालय) द्वारा आयुक्तालय में छात्रवृति आवेदन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति	15.8.2010 तक	31.8.2010 तक
2	महिला योग्यता छात्रवृति	15.8.2010 तक	31.8.2010 तक
3	उर्दू छात्रवृति	15.8.2010 तक	31.8.2010 तक
4	राजनैतिक पीडितो/स्वतंन्त्रता सैनानियो के बच्चो को देय छात्रवृति	15.8.2010 तक	31.8.2010 तक
5	मृतक राज्य कर्मचारियो के बच्चो को देय छात्रवृति	15.8.2010 तक	31.8.2010 तक
6	भारत पाक एवं चीन युद्व में मृतक/अपंग सैनिको के बच्चो/उनकी विधवाओ को छात्रवृति	15.8.2010 तक	31.8.2010 तक
7	ललित कला छात्रवृति राजस्थान संगीत संस्था जयपुर	15.8.2010 तक	31.8.2010 तक
8	ललित कला छात्रवृति राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस, जयपुर	15.8.2010 तक	31.8.2010 तक
9	राजस्थान के पूर्व सैनिको की प्रतिभावान पुत्रियो को देय छात्रवृति	15.8.2010 तक	31.8.2010 तक
10	कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिको के आश्रितो को देय छात्रवृति	15.8.2010 तक	31.8.2010 तक
11	मिलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृति	15.8.2010 तक	31.8.2010 तक

उल्लेखित छात्रवृतियो से सम्बन्धित आवेदन फोर्मस आयुक्तालय कालेज शिक्षा की वेबसाईट **http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है । महाविद्यालय/शिक्षण संस्था/छात्र डाउन लोड कर आवेदन फार्म प्राप्त कर लेवे। आयुक्तालय स्तर पर छात्रवृति फार्मस विक्रय/वितरित नही किये जावेगे। छात्रवृति सम्बन्धी नियमो की जानकारी भी इन्टरनेट पर उपलब्ध है। अतः छात्र/शिक्षण संस्था छात्रवृति सम्बन्धि नियमों/शर्तो की पूर्ण जानकारी विभाग की बेवसाईट से प्राप्त कर सकते है। नियमो के तहत पात्र छात्र पूर्ण भरे हुए छात्रवृति फार्म आवश्यक दस्तावेजो के साथ शिक्षण संस्था मे ही निर्धारित तिथि तक जमा करावें। आयुक्तालय में छात्रो से सीधे फार्म जमा नही किये जावेगे।

भरे हुए फार्मो के साथ गत परीक्षा उत्तीर्ण की सत्यापित अंक तालिका, प्रवेश पत्र, फीस रसीद की सत्यापित फोटो प्रति, निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । जो छात्र/छात्रा छात्रावास में रहते है वे छात्रावास में एडमिशन का प्रमाण पत्र, फीस रसीद की सत्यापित फोटोप्रति, निवास करने की तिथि तथा छात्रावास वार्डन से प्रमाणित कराकर संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर कराकर संलग्न करें।

राष्ट्रीय छात्रवृति नूतन के आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराऐ जायेगे।

आवेदक छात्र तथा शिक्षण संस्था प्रधान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए तथा आवश्यक दस्तावेजो के साथ निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। अपूर्ण आवेदन पत्र तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर कोई विचार नही किया जावेगा तथा इसके लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था एवम् आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगे।

नवीनीकरण (Renewal) छात्रवृति फार्म उन्ही छात्रो के अग्रेषित किये जावे जिनको गत वर्ष नूतन (New) छात्रवृति मिली हो तथा छात्र ने पूर्णतया 50 प्रतिशत अंको के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

राजकीय महाविद्यालयो के प्राचार्यो/संस्था प्रधानो को निर्देशित किया जाता है कि नवीनीकरण छात्रवृति फोर्म इस कार्यालय को नही भिजवाये तथा अपने स्तर पर नियमानुसार/बजट मद से छात्रवृति स्वीकृत करे। उन्ही छात्रो को छात्रवृति स्वीकृत की जावे जिनको गत वर्ष आयुक्तालय द्वारा छात्रवृति स्वीकृत कर भुगतान की गई हो। स्वीकृति जारी करने के पश्चात बजट हेतु मांग पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावे, जिसके साथ छात्रवृति स्वीकृति आदेश की प्रति भी संलग्न की जावे। छात्रवृति माह सितम्बर 2010 में भुगतान कर अक्टूबर 2010 में खर्चा विवरण आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रोफार्मा स्कीम के साथ नेट पर उपलब्ध है।

छात्रवृति फार्म स्कीम वार अलग–अलग पत्रो के साथ अग्रेषित किया जावें। जिसमे प्रथम बन्च नूतन तथा द्वितीय बन्च नवीनीकरण छात्रवृति फार्म के संलग्न किया जावे। अग्रेषित पत्र पर क्र.सं. छात्र का नाम, पिता का नाम, कक्षा जिसमे अध्ययनरत हो/एडमिशन लिया हो तथा गत वर्ष परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत अंकित करें।

छात्रो को छात्रवृति का भुगतान उनके बैक खातो में माध्यम से किया जावें।

विशेष :– राजस्थान के बाहर अध्ययनरत एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./छात्रो के छात्रवृति फार्म उनके मूल निवास जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग को सीधे ही प्राचार्य के माध्यम से भिजवायें। आयुक्तालय कालेज शिक्षा को नही भिजवायें।

(हस्ताक्षर)
आयुक्त
कालेज शिक्षा विभाग
जयपुर

क्रमांक एफ23(126)लेखा/आकाशि/छात्र/ 902 to 909 दिनांक 14-7-2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को 8 प्रतियो सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इसका निःशुल्क प्रकाशन राजस्थान के सभी समाचार पत्रो में करवाने की व्यवस्था करावे।
2. निदेशक दूरदर्शन केन्द जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है।
3. निदेशक आकाश वाणी जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा सचिवालय जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (अकादमी) कालेज शिक्षा राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रवेश निति 2010–11 में उक्तानुसार संशोधन करने का श्रम करें।
6. सम्पादक राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नव ज्योति जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति के अनुसार समाचार प्रेषित करे।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय एवम् मान्यता प्राप्त महाविद्यालय राजस्थान, प्राचार्य, संगीत संस्थान/राज0 स्कूल ऑफ आर्टस, जयपुर ।
8. सहायक निदेशक कालेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को कार्यक्रम से सूचित करावे।

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृति)